28/6/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 106/2022

उनवान:– दिनेश बनाम रामाधार वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, वर्णित आराजीयात मे गैरसायल न0 1 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 को विरासत मे प्राप्त हुई है। इस कारण वर्णित आराजी मे सायलान एवं दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 6 अपने नाम खातेदारी कराने के अधिकारी है। मौके पर सायलान का हिस्सा बटा हुआ है। जिस पर गैरसाय न0 1 काश्त नही करने देता है। गैरसायल न0 1 गलत चाल चलन का व्यक्ति है जो शराब एवं जुआ सट्टा खेलता है। सायलान को मारने पीटने की धमकी देता है। इसिलये न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.08.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत व मनगढंत पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है। गैरसायल न0 1 के सायलान न0 1 व 3 ता 6 बेटे बेटी है। सायलान का चाल चलन अच्छा नही है तथा आये दिन गैरसायल न0 1 को गाली गलौच कर मारने पीटने को आमदा रहते है। तथा ना कमाते है। सायलान गैरसायल न0 1 को मारने पर आमदा है ताकि जमीन इनके नाम आ जावे तो ये उसे बेचकर गलत शौक कर सके। गैरसायल न0 1 विवादित आराजीयात का एक मात्र मालिक है तथा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उसके जीवीत रहने तक सायलान का वर्णित आराजीयात पर कोई अधिकार नही है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम ऐदलपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 392, 393 मे कुल किता 14 रकवा 2.09 है0 मे गैरसायल सम्पूर्ण हिस्से का, तथा खाता न0 506 मे कुल किता 05 रकवा 0.53 है0 मे गैरसायल 1/12 हिस्से का, खाता न0 240 मे कुल किता 02 रकवा 0.30 है0 मे गैरसायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायल को विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसमे उसके पुत्र, पुत्री व पत्नि का नोशनल शेयर पर हिस्सा बनता है जिसे उनकी सहमति के बिना विक्रय नही किया जा सकता। इसिलये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.08.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 28 .06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:01 IST
Reason: SelfAttested